Methodist HEALTH SYSTEM			FIN 008 MHS
शीर्षक: गैर-बीमाकृत वालों को छूट			
18/12/2007	**पिछली समीक्षा तिथि: 01/10/2026**	**अंतिम संशोधन तिथि: 01/10/2026**	**प्रभावी तिथि: 01/10/2026**
विभाग द्वारा पॉलिसी तैयार करना: वित्त			**पेज 2 का 1**

पॉलिसी:

मेथोडिस्ट हेल्थ सिस्टम (MHS) गैर-बीमाकृत रोगियों को स्टैंडर्ड प्रभार से 70% छूट देगा।

दिशानिर्देश:

1. मेथोडिस्ट हेल्थ सिस्टम की गैर-बीमाकृत छूट ऐसे रोगियों पर लागू है जिनकी बीमा या मेडिकेयर या मेडिकेड सहित अन्य थर्ड पार्टी कवरेज न हो।
    A. कम बीमाकृत के रूप में वर्गीकृत रोगियों पर छूट लागू नहीं होती।
    B. रोगी के सह-भुगतान, सह-बीमा या कटौतियों पर छूट लागू नहीं होती।
    C. राज्य, संघीय या अन्य थर्ड पार्टी सहायता प्रोग्रामों के अर्हता प्राप्त रोगियों पर छूट लागू नहीं होती।

2. छूट पाने के पात्र के रूप में पहचान किए गए गैर-बीमाकृत रोगियों को रजिस्ट्रेशन के समय छूट के बारे में बताया जाएगा। रोगी को यह भी सूचित किया जाएगा कि MHS को पता चलने पर कि रोगी छूट पाने योग्य नहीं था या अनजाने में किसी कारण से छूट लागू की गई थी, MHS को छूट वापसी का अधिकार है। पता चलते ही MHS सेंट्रल बिलिंग ऑफिस द्वारा ऐसे रोगियों को सूचित किया जाएगा।

3. गैर-बीमाकृत लोगों को दी जाने वाली छूट मेथोडिस्ट हेल्थ सिस्टम की बाजार मूल्य वाली सर्विसेस पर लागू नहीं होती।
    A. मेथोडिस्ट हेल्थ सिस्टम रोगी एक्सेस विभागों से संपर्क कर बाजार मूल्य वाली सर्विसेस की सूची प्राप्त की जा सकती है जिनमें कभी भी बदलाव हो सकता है।

4. रोगी के आरंभिक बिल में छूट की राशि अलग लाइन आइटम के रूप में दर्शाई जाएगी, जिसमें “गैर-बीमाकृत रोगी छूट” की लाइन का उल्लेख होगा।

5. इस पॉलिसी में लागू छूट प्रतिशत पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक अक्टूबर में वार्षिक रूप से परिकलित, उस समय की सर्वोत्तम जानकारी के उपयोग से वार्षिक रूप से इससे अधिक बार नहीं होगा।

परिशिष्ट A: छूट से बाहर रखी गई गैर-बीमाकृत रोगी सर्विसेस

इनके द्वारा अनुमोदित ____

इस पॉलिसी के लिए कॉर्पोरेट वित्त कार्यालय जिम्मेदार है। इस पॉलिसी संबंधी प्रश्न या सुधार के सुझाव वित्तीय सर्विसेस के कार्यकारी उपाध्यक्ष को 214-947-4510 पर भेजे जाने चाहिए।

परिशिष्ट A

शीर्षक: छूट से बाहर रखी गई गैर-बीमाकृत रोगी सर्विसेस

दिशानिर्देश:

1. इन सर्विसेस को बाजार मूल्य वाली सर्विसेस माना जाता है इसलिए गैर-बीमाकृत रोगी छूट से इन्हें बाहर रखा गया है।
   - A. गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी
   - B. लैप बैंड सर्जरी
   - C. योनि और C-सेक्शन डिलीवरी
   - D. केवल कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं
   - E. CT हार्ट स्कोर

संबंधित अस्पताल के रोगी एक्सेस विभाग से इन प्रक्रियाओं की बाजार कीमतों की सूची प्राप्त की जा सकती है।